प्रेषिका,

प्रधानाचार्या,
राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला
महाविद्यालय, प्रयागराज।

सेवा में,

श्रीमान् प्रबन्धक
दैनिक जागरण/अमर उजाला
उ0प्र0, प्रयागराज।

पत्रांक/ /2024–25 दिनांकः–

विषयः– संलग्न विवरणानुसार विज्ञापन प्रकाशित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, प्रयागराज में सी०टी० (नर्सरी) प्रशिक्षण वर्ष 2024 प्रवेश प्रकिया हेतु संलग्न विवरणानुसार प्रदेश के समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कर भुगतान प्रक्रिया हेतु बिल बाउचर दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे भुगतान की कार्यवाही अंतर्गत बिल बाउचर सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ० प्र० प्रयागराज की सेवा में प्रेषित किया जा सके।

संलग्नः–उक्तवत्। भवदीया

डा0 (सुभाषिनी प्रजापति)
प्रधानाचार्या,
राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला
महाविद्यालय, प्रयागराज

पृष्ठां०सं०:रा०शिशु/ /2024–25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ० प्र० प्रयागराज की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित है–

प्रधानाचार्या,
राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला
महाविद्यालय, प्रयागराज।

प्रधानाचार्या–राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, प्रयागराज।

विज्ञप्ति/प्रवेश–सूचना

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ० प्र० प्रयागराज के पत्र दिनांक 10 फरवरी, 2025 के द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय प्रयागराज सी० टी० (नर्सरी) प्रशिक्षण सत्र 2024 हेतु प्रवेश के लिए औपबन्धिक सूची के समस्त अभ्यर्थी द्वारा नियत तिथि दिनांक 17,18 एवं 19फरवरी–2025 को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक तथा छुटे हुए समस्त अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 24 एवं 25 फरवरी–25 को नियत समय में राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय प्रयागराज, 41–महात्मा गांधी मार्ग सिविल लाइन्स प्रयागराज में उपस्थित होकर काउन्सलिंग कराने का कार्य किया जा सकेगा। काउन्सलिंग में अभ्यर्थियों द्वारा मूल अभिलेखो के जांच हेतु अपने ऑन लाइन ,आवेदन पत्र के साथ ही उसमे उल्लिखित अभिलेखो की दो स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज की दो नवीन फोटो जिस पर अभ्यर्थी का स्पष्ट नाम अंकित हो, जाति/निवास प्रमाण पत्र, आरक्षण/विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र एवं पहचान हेतु आधार कार्ड की के साथ उपस्थित हो।

समय–समय पर प्रकाशित अंतिम प्रवेश सूची एवं काउन्सलिग से सम्बन्धित विस्तृत दिशा–निर्देश एवं सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट gntcprayagraj.edu.in एवं नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

प्रधानाचार्या,
राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला
महाविद्यालय, प्रयागराज।

प्रधानाचार्या–राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, प्रयागराज।

काउन्सलिंग/प्रवेश सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देश

:-प्रवेश तिथि एवं अन्य विवरण:-

दिनांक	दिन	समय
17.02.2025	सोमवार	प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक
18.02.2025	मंगलवार	प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक
19.02.2025	बुधवार	प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक
24,25फरवरी-2025(छुटे अभ्यर्थी	सोमवार एवं मंगलवार	प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक

01–अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरा गया विवरण ही चयन का आधार है। आवेदन में भरे गये विवरण से सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण आदि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की स्वप्रामाणित स्पष्ट पठनीय छायाप्रतियॉ जाचं के समय अभ्यर्थी को प्रस्तुत करनी होंगी। ऑन लाइन आवेदन की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद के निर्गत शैक्षिक अंकपत्र तथा आरक्षण/विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र मान्य नही होंगे। मूल अभिलेखों की जांच के समय आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियों के इतर सूचनाओं वाले प्रमाण पत्रों को स्वीकार नही किया जायेगा।

काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक प्रपत्रः–

A. ऑनलाइन पूरित आवेदन की एक प्रति।
B. समस्त मूल अभिलेख।
C. आवेदन पत्र में उल्लिखित एवं अनिवार्य समस्त अभिलेखो की स्वप्रमाणित छायाप्रति (दो प्रति)

D. दो रंगीन नवीन पासपोर्ट साइज की फोटो जिस पर नाम अंकित हो।

E. आरक्षण, विशेष आरक्षण प्रपत्र, निवास व आय प्रमाण–पत्र की छायप्रति

02–अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में अंकित विवरण की सत्यता के सम्बन्ध में यह घोषणा (Undertaking)की जायेगी कि आवेदन करने की तिथि को उसके पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंकपत्र/प्रमाण–पत्र/आरक्षण, विशेष आरक्षण प्रपत्र उपलब्ध है। यदि उसके द्वारा अंकित किया गया विवरण त्रुटिपूर्ण/असत्य है तो न केवल उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा अपितु उसके विरुद्ध वैद्यानिक कार्यवाही भी की जायेगी। जिस पर उसे कोई आपत्ति नही होगी।

03–आवेदन करने की अन्तिम तिथि के बाद निर्गत तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न अंकपत्र/प्रमाण पत्र से भिन्न कोई भी अंकपत्र/प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।

04–जांच के समय अभ्यर्थी को अपनी पहचान(Identity) के प्रमाण के रुप में मतदाता पहचान पत्र पैन कार्ड ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक की फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त राशन कार्ड, यू०आई०डी०(आधार कार्ड) में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभिलेखो की जांच कराने का अर्थ प्रवेश की सुनिश्चितता नही है। प्रवेश मेरिट के आधार पर आवंटित सीटो के सापेक्ष होगा।

05–प्रवेश के समय चयनित अभ्यर्थियों को रु० 10 के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर अपने रंगीन फोटो सहित नोटरी से प्रमाणित इस आशय का शपथपत्र अनिवार्य रुप से देना होगा कि वह वास्तव में उत्तर प्रदेश के ....जनपद का निवासी है, उसके पास आवेदन पत्र और जांच प्रपत्र में भरा गया विवरण सत्य है, चयन/प्रशिक्षण/प्रशिक्षणोपरान्त किसी भी स्तर पर कोई सूचना गलत पाये जाने अथवा फर्जी पाये जाने अथवा चयन त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त हो जायेगा, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नही होगी ।